7/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या— 81/18 तारीख रज्जू—04/09/18

अब्दुल हकीन उर्फ फकीरया पुत्र हुसैना जाति मुसलमान तेली उम्र 60 साल निवासी चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर। अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार साहब चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक— 31.7.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम विजयपुरा के नामान्तकरण संख्या 234 में पारित निर्णय दिनांक 20/06/87 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने ग्राम विजयपुरा में स्थित अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि का अपीलान्ट के पिता हुसैना के फौत हो जाने पर नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 234 निर्णय दिनांक 20/06/87 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 की और से परोकार सरकार उपस्थित तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि पटवारी हल्का ने वास्तविक नाम की जानकारी किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। हुसैन पुत्र रमजानी तेली निवासी चौथ का बरवाड़ा का अपीलान्ट एक मात्र पुत्र है। जिसको प्यार से फकीरा नाम से पुकारा जाता है। परन्तु अपीलान्ट का पहचान पत्र, आधार कार्ड में अब्दुल हकीन नाम है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का वास्तविक नाम से नामान्तकरण तस्दीक ना कर जिस नाम से बचपन में पुकारा जाता था उस नाम से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है। जो निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या सं0 234 निर्णय दिनांक 20/06/87 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेशोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो न्यायोचित एवं सही है, साथ ही नामान्तकरण संख्या सं0 234 निर्णय दिनांक 20/06/87 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अपीलांन्ट द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र व आधार कार्ड की प्रति के अनुसार हुसैन खान के पुत्र का नाम अब्दुल हकीम है। अतः उक्त अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 234 निर्णय दिनांक 20/06/87 वाके ग्राम विजयपुरा निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हुसना पुत्र रमजानी के विविध वारिसान की जांच कर नियमानुसार खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 31·7·19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर